us gal edge

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 130/2017 इ.फौ.

तस्थापन दिमोकः : 07.04.2017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-एण्डोरी, जिला भिण्ड म०प्र०

<u>, अभियोजन</u>

बनाम

विकम उर्फ प्रेमसिंह पुत्र रमेश तरेटिया उम्र 24 वर्ष निवासी—ग्राम शेरपुर थाना एण्डोरी जिला भिण्ड (म०प्र०)

..... अभियुक्तगण

(अपराध अंतर्गत धारा—498ए भा०दं०सं० एवं धारा 04 दहेज प्रतिषेध अधिनियम) (राज्य द्वारा एडीपीओ— श्री प्रवीण सिकरवार) (आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता—श्री योगेन्द्र श्रीवास्तव)

<u>:- नि र्ण य --:</u> (आज दिनांक 16/03/2018 को घोषित किया)

आरोपी पर दिनांक 19.05.15 से निरन्तर शेरपुर की पुलिया पर फरियादी रूबी के पित होकर फरियादी रूबी से दहेज में एक लाख रूपये की मांग करने तथा मांग की पूर्ति न होने पर फरियादिया रूबी की मारपीट कर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर उसके साथ कूरता कारित करने हेतु भा0द0सं0 की धारा 498-ए एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत आरोप है।

02. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि फरियादियां रूबी की शादी दिनांक 19 मई 2015 को आरोपी विकम उर्फ प्रेम सिंह के साथ हिंदू रीति रिवाजों से ग्राम लावन में संपन्न हुई थी शादी में उसके पिता सुरेश खटीक ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक मोटरसाईकिल टी.वी.एस. स्पोर्टस, एक लाख रूपये नगद, 50 हजार रूपये का घर गृहस्थी का सामान दिया था शादी के बाद ससुराल में आरोपी विकम ने दो—तीन महीने तक उसे अच्छे तरीके से रखा था उसके बाद आरोपी उसकी रोजाना मारपीट करता था और उसे घर से निकल जाने के लिये कहता था तथा उसे खर्चेके लिये रूपये नहीं देता था एवं उससे कहता था कि तुम्हं नहीं रखेगा क्योंकि तुम सुंदर नहीं हो। आरोपी हमेशा उसे ताना मारता था जुलाई 2016 में आरोपी उसे ग्वालियर ले गया था एवं ग्वालियर में उसे कमरा लेकर रखा था आरोपी खुद कमरे पर नहीं आता था और न ही उसे खाने—पीने को देता था यह बात उसने कई बार अपने पिता सुरेश और मां केला देवी को बताई थी तो उसके माता पिता ने रिश्तेदारों के साथ ससुराल जाकर समझाने की कोशिश की थी, परंतु आरोपी नहीं माना था एवं आरोपी आये दिन उसकी मारपीट करता रहता था। दिनांक 02.01.17 को आरोपी मोटरसाईकिल पर उसे लेकर ससुराल शेरपुर की पुलिया पर छोड गया था और कह गया था कि वह उसे नहीं रखेगा उसे जहां जाना है वहां जाये। उसके बाद वह अपने पिता के घर ग्राम लावन चली गई

प्रतिक हिलान मण्ड (म प

थी एवं पूरी बात अपने माता-पिता को बताई थी। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट थाने पर की गर् था एव पूरा बात अपन नाता निर्णा पण्डोरी में अप0क0 11/17 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकार फारवादिया प्रमाण पर अस्ति । तिवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे। आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

उक्त अनुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध आरोप विरिचत किए गए। आरोपी को आरोपित अपराध पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व

प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक् अंकित किया गया।

दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है।

इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए हैं :-05.

- क्या आरोपी ने दिनांक 19.05.15 से निरंतर शेरपुर की पुलिया पर फरियादी रूबी के पति 1. होकर फरियादी रूबी से दहेज की मांग की एवं मांग की पूर्ति न होने पर फरियादिया रूबी की मारपीट कर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ कूरता कारित की ?
- क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादिया रूबी से एक लाख रूपये दहेज की मांग की ?

उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादिया रूबी अ०सा०1, साक्षी शिवनारायण अ०सा०२, केशव अ०सा०३, सुरेश अ०सा०४, थाना प्रभारी यतेंद्रसिंह भदौरिया अ०सा०५ एवं कैलादेवी अ0सा06 को परीक्षित कराया गया है जबिक आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न कमांक 1 एवं 2

साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक 07. साथ किया जा रहा है।

उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फरियादिया रूबी अ०सा०। ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि आरोपी विक्रम उसका पति है उसकी शादी वर्ष 2015 में विक्रम के साथ हुई थी शादी में उसके पिता ने एक लाख रूपये नगद एवं घर गृहस्थी का पूरा सामान दिया था शादी के बाद 4-5 महीने तक आरोपी ने उसे अच्छे तरीके से रखा था। 4-5 महीने बाद आरोपी ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया था आरोपी विकम उसकी मारपीट करता था एवं उसे घर से बाहर निकाल देता था तथा उससे कहता था कि एक लाख रूपये लेकर आओ, तभी तुम्हें रखूंगा फिर उसने अपने पिता को फोन किया था कि उसके ससुर रमेश, पति प्रेम सिंह, जेट रामनिवास उससे एक लाख रूपये की मांग कर रहे हैं तथा उससे कह रहे हैं कि एक लाख रूपये लेकर आओ, तभी तुम्हें रखेंगे। आरोपी उससे कहता था कि वह सुंदर नहीं है इसलिये वह उसे नहीं रखेगा। इसके बाद उसके पिता से बातचीत हुई थी व उसके पिता ने थाना एण्डोरी में रिपोर्ट की थी तो आरोपी उसे एण्डोरी से ही ग्वालियर ले गया था उसके पिता ने उसे थाने से ही विक्रम के साथ भेज दिया था आरोपी ने ग्वालियर में कमरा लिया था आरोपी कमरे पर नही आता था एवं उसे खाने पीने को कुछ नहीं देता था उसने यह बात अपने पिता सुरेश व मां केलादेवी को बताई थी। कई बार ससुराल जाकर विकम को समझाया था, परंतु आरोपी नहीं माना था और कहता था कि एक लाख रूपये लेकर आओ तभी रखूंगा। आरोपी आये दिन उसकी मारपीट करता था। उसकके न्यायालयीन कथन से 7-8 महीने पहले आरोपी उसे बूटी कुईया पर छोडकर चला गया था आरोपी ने उससे कहा था कि दहेज में एक लाख रूपये लेकर आयेगी, तभी रखूंगा। उसने घटना के संबंध में थाना एण्डोरी में रिपोर्ट की थी जो प्र0पी0-1 है ,जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र0पी0-2 है जिसके ए से ए भाग पर

उसके हस्ताक्षर हैं।

当

- 09. प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 3 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने प्र0पी0—1 की रिपोर्ट में दहेज मांगने वालों में सास, ससुर, जेठ, जिठानी का नाम लिखा दिया था, यदि न लिखा हो तो वह कारण नहीं बता सकती। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी ने उसे साथ रखने के लिये भिण्ड में कुटुम्ब न्यायालय में दावा किया था आरोपी उसकी मारपीट करता था जिसकी रिपोर्ट उसने थाना एण्डोरी में की थी। पद कमांक 4 में उक्त साक्षी का कहना है कि प्र0पी0—1 की रिपोर्ट उसके चाचा ने लिखाई थी एवं प्र0पी0—2 पर हस्ताक्षर उसने थाने पर किये थे उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्र0पी0—2 पर जब उसने हस्ताक्षर किये थे, तब वह कोरा था। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है इसलिये उसने दहेज का झूंठा केस लगा दिया है।
- 10. साक्षी शिवनारायण अ०सा०2, केशव अ०सा०3, सुरेश अ०सा०4 एवं केलादेवी अ०सा०6 ने भी फरियादी रूबी अ०सा०1 के कथन का समर्थन किया है एवं आरोपी द्वारा रूबी से दहेज मांगने बावत् प्रकटीकरण किया है।
- 11. थाना प्रभारी यतेंद्रसिंह भदौरिया अ०सा०५ द्वारा विवेचना को प्रमाणित किया गया है।
- 12. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।
- प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी रूबी अ०सा०। ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि शादी के बाद 4-5 महीने तक आरोपी ने उसे अच्छी तरह रखा था उसके बाद आरोपी ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया था आरोपी उसकी मारपीट करता था एवं उसे घर से बाहर निकाल देता था आरोपी उससे एक लाख रूपये अपने मायके से लेकर आने के लिये कहता था एवं यह भी कहता था कि वह सुंदर नहीं है, इसलिये वह उसे नहीं रखेगा। इस प्रकार फरियादी रूबी अ0सा01 ने अपने कथन में यह बताया है कि शादी के बाद आरोपी ने उसे 4-5 महीने अच्छी तरीके से रखा था, जबकि प्र0पी0-1 की रिपोर्ट में यह वर्णित है कि शादी के बाद आरोपी ने फरियादिया रूबी को दो-तीन महीने तक अच्छी तरीके से रखा था इसके अतिरिक्त फरियादिया रूबी अ०सा०1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यहबताया है कि आरोपी उससे कहता था कि एक लाख रूपये अपने मायके से लेकर आओ, तभी तुम्हें रखूंगा, परंतु इस तथ्य का उल्लेख भी प्र0पी0-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है यद्यपि फरियादी रूबी के पुलिस कथन में आरोपी द्व ारा एक लाख रूपये दहेज मांगने का उल्लेख है, परंतु इस तथ्य का उल्लेख प्र0पी0-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। यदि वास्तव में आरोपी फरियादी रूबी से दहेज की मांग करता था एवं उसे एक लाख रूपये अपने मायके से लाने के लिये कहता था तो इस तथ्य का उल्लेख प्र0पी0-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में अवश्य होता, परंतु प्र0पी01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी द्वारा दहेज मांगने का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार उक्त बिंदु पर फरियादी रूबी अंग्सा01 के कथन प्र0पी0-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से विरोधाभाषी रहे हैं उक्त विरोधाभाष अत्यंत तात्विक है जो फरियादी के कथनों के विपरीत संदेह उत्पन्न कर देता है।
- पिता से यह बताया था कि उसके ससुर रमेश, पित प्रेम सिंह, जेठ रामनिवास उससे एक लाख रूपये की मांग कर रहे हैं। प्रतिपरीक्षण के दौरान भी उक्त साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि उसने प्र0पी01 की रिपोर्ट में अपने सास, ससुर, जेठ, जिठानी का नाम दहेज मांगने वालों में लिखाया था, परंतु इस तथ्य का उल्लेख भी प्र0पी0—1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। प्र0पी01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह वर्णित नहीं है कि फरियादिया की सास, ससुर, जेठ, जिठानी भी दहेज की मांग करते थे प्र0पी01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि आरोपी अथवा आरोपी के परिवारजन फरियादिया से दहेज की मांग करते थे, जबिक फरियादिया रूबी अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में उसके ससुर रमेश, जेठ रामनिवास द्वारा भी उससे दहेज की मांग करना बताया है। इस प्रकार उक्त बिंदु पर भी फरियादी रूबी अ0सा01 के कथन प्र0पी0—1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से विरोधाभाषी रहे हैं, जो फरियादी के कथनों के प्रति संदेह उत्पन्न कर देते हैं।

सायिक गाँउ पार्च केला गाँउ जिल्ला प्राप्त केला गाँउ जिल्ला जिल्ला मा 16. जहां तक शेष साक्षीगण के कथनों का प्रश्न है। साक्षी शिवनारायण अ0सा02 ने अपने कथन में यह बताया है कि फरियादिया रूबी उसकी भतीजी है उसने रूबी की शादी आरोपी से की थी शादी के एक वर्ष के अंदर ही आरोपी रूबी को परेशान करने लगा था आरोपी ने दूसरी औरत भी रख ली थी और वह उसकी भतीजी की मारपीट करता था। वह उसकी भतीजी को शेरपुर से ग्वालियर ले गया था उसकी लड़की वहां भी परेशान रहती थी उसने आरोपी से कहा था तो आरोपी ने उससे कहा था कि उसने दूसरी शादी कर ली है उसे दहेज में एक लाख रूपये और चाहिये। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी ह विश्व कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी उसकी भतीजी से अपने पिता के यहां से एक लाख रूपये लाने के लिये कहता था। प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 4 में उक्त साक्षी का कहना है कि उसके बहनोई लक्ष्मीनारायण ने उसे बता दिया था कि रिपोर्ट किस प्रकार करना है उसने लक्ष्मीनारायण के कहे अनुसार ही रिपोर्ट की थी। पद कमांक 5 में उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी ने उसकी भतीजी से कभी भी एक लाख रूपये दहेज की मांग नहीं की थी।

17. इस प्रकार साक्षी शिवनारायण अ०सा०२ ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि आरोपी ने दूसरी शादी कर ली थी, परंतु यह बात साक्षी शिवनारायण द्वारा अपने पुलिस कथन में नहीं बताई गई है न ही यह बात कि आरोपी ने दूसरी शादी कर ली थी अथवा आरोपी के अन्य औरत से संबंध थे फरियादी रूबी अ०सा०1 द्वारा बताई गई है। इस प्रकार उक्त बिंदु पर साक्षी शिवनारायण अ०सा०२ के कथन फरियादी रूबी अ०सा०1 के कथन से विरोधाभाषी रहे हैं इसके अतिरिकत साक्षी शिवनारायण अ०सा०२ ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि आरोपी उसकी भतीजी से एक लाख रूपये दहेज की मांग करता था, परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी ने उसकी भतीजी से कभी भी एक लाख रूपये दहेज की मांग नहीं की थी तथा उसने अपने बहनोई लक्ष्मीनारायण के बताये अनुसार रिपोर्ट की थी। इस प्रकार साक्षी शिवनारायण अ०सा०२ के कथन से यही प्रकट होता है कि आरोपी ने रूबी से कभी भी दहेज की मांग नहीं की थी स्वयं रूबी अ०सा०1 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि वह आरोपी के साथ नहीं रहना चाहती है। साक्षी शिवनारायण अ०सा०२ के कथनों से भी यह दर्शित है कि उक्त साक्षी के कथन अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं उक्त साक्षी के कथन तात्विक बिंदुओं पर फरियादी रूबी अ०सा०1 कथनों से भी विरोधाभाषी रहे हैं उक्त साक्षी के कथन तात्विक बिंदुओं पर फरियादी रूबी अ०सा०1 कथनों से भी विरोधाभाषी रहे हैं उक्त साक्षी के कथन साक्षी के कथनों से भी अभियोजन घटना संदेह से पर प्रमाणित नहीं होती है।

18. साक्षी केशव अ०सा०3 ने भी अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि शादी के बाद से ही आरोपी उसकी बहन रूबी की मारपीट करने लगा था विक्रम रूबी की मारपीट क्यों करता था वह नहीं बता सकता है आरोपी क्या दहेज मांग रहा था उसे इसकी भी जानकारी नहीं है। शादी के 15 दिन बाद ही आरोपी उसकी बहन रूबी को पुलिया के पास छोड़ गया था फिर उसके पिता रूबी को लेने गये थे, तब से रूबी मायके में रह रही है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि शादी के बाद विक्रम रूबी की आये दिन मारपीट करता था एवं रूबी को अपने पिता से दहेज में एक लाख रूपये लाने के लिये कहता था उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी ने दूसरी औरत रख ली थी तथा यह भी स्वीकार किया है कि दिनांक 02.02.17 को आरोपी रूबी को शेरपुर की पुलिया पर छोड़कर चला गया था। प्रतिपरीक्षण के पद कमाक 4 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह अपनी बहन को विक्रम के साथ नहीं रखना चाहता है इस कारण उसने दहेज के लिये झूंठा दावा लगा दिया है। पद कमांक 5 में उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसके सामने आरोपी ने कभी कोई दहेज नहीं मांगा था।

माधिक में

- 19. इस प्रकार साक्षी केशव अ०सा०३ ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसे जानकारी नहीं है कि आरोपी क्या दहेज मांग रहा था उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी शादी के 15 दिन बाद ही उसकी बहन रूबी को पुलिया के पास छोड़ गया था, तब से रूबी मायके में रह रही है, परंतु जब उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षिवरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे गये हैं तो उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी रूबी से एक लाख रूपये दहेज की मांग करता था एवं यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी दिनांक 02.01.17 को रूबी को शेरपुर की पुलिया पर छोड़कर चला गया था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह अपनी बहन को आरोपी के साथ नहीं रखना चाहता है इसलिये उसने दहेज का झूंठा दावा लगा दिया है। इस प्रकार साक्षी केशव अ०सा०३ के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभाषी रहे हैं उक्त साक्षी द्वारा एक ही समय में एक ही बिंदु पर परस्पर विरोधाभाषी कथन दिये गये हैं उक्त साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि उसने आरोपी पर दहेज का झूंठा केस लगा दिया है। ऐसी स्थित में उक्त साक्षी के कथनों से भी अभियोजन घटना संदेहास्पद हो जाती है।
- 20. साक्षी सुरेश अ0सा04 ने भी अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि फरियादी रूबी उसकी लड़की है एवं आरोपी रूबी से एक लाख रूपये दहेज में लाने के लिये कहता था तथा यह भी कहता था कि उसके पास दूसरी औरत है आरोपी ने रूबी को ग्वालियर में रखा था विक्रम ने रूबी को भगा दिया था रूबी ने किसी दूसरे के फोन से फोन करके उसे बुलाया था तो वह गया था रूबी उसे नहर की पुलिया पर रोते हुये मिली थी फिर वह उसे घर लेकर आ गया था, तब से रूबी मायके में रह रही है। प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 4 में उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि लक्ष्मीनारायण ने उसे बताया था कि आरोपी के उपर दहेज का केस लगा दो तो उसने आरोपी पर दहेज का केस लगा दिया था। पद क्रमांक 5 में उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि वह अपनी बच्ची रूबी को आरोपी विक्रम के साथ नहीं भेजना चाहता है इसलिये उसने आरोपी पर दहेज का झूंडा केस दर्ज करवा दिया है।
- 21. इस प्रकार सुरेश अ0सा04 के कथनों से भी यह दर्शित है कि उक्त साक्षी के कथन अपने परीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभाषी रहे हैं उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि आरोपी ने दूसरी औरत रख ली थी तथा आरोपी रूबी से दहेज की मांग करता था, परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वह अपनी लड़की रूबी को आरोपी के साथ नहीं भेजना चाहता था इसलिये उसने आरोपी पर दहेज का झूठा केस दर्ज करवा दिया था। इस प्रकार सुरेश अ0सा04 के कथनों से यही दर्शित होता है कि आरोपी द्वारा दहेज की मांग नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के कथन से भी अभियोजन घटना प्रमाणित नहीं होती है।
- 22. साक्षी केलादेवी अ०सा०६ ने भी अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि आरोपी उसकी पुत्री से एक लाख रूपये दहेज की मांग करता था आरोपी ने उसकी लड़की की मारपीट की थी फिर उसका लड़का केशव व देवर शिवनारायण तथा उसका पित पुत्री की ससुराल गये थे एवं उसकी पुत्री को लेकर आये थे, तब से उसकी पुत्री उसके साथ ही रहती है। इस प्रकार कैलादेवी अ०सा०६ ने अपने कथन में यह बताया है कि उसका पित, देवर एवं उसका लड़का केशव फरियादिया को उसकी ससुराल से लेकरआये थे, जबिक फरियादी रूबी अ०सा०1 का कहना है कि आरोपी उसे बूटी कुईया पर छोड़कर चला गया था। इस प्रकार उक्त बिंदु पर साक्षी केलादेवी अ०सा०६ के कथन फरियादी रूबी अ०सा०1 के कथन से परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं इसके अतिरिक्त केलादेवी अ०सा०६ ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी व्यक्त किया है कि वह अपनी पुत्री को आरोपी के साथ नहीं भेजना चाहती है उसके नन्दोई ने उससे आरोपी पर दहेज का केस लगाने के लिये कहा था तो उसने आरोपी पर केस लगा दिया है। इस प्रकार केलादेवी अ०सा०६ के कथनों से भी यही प्रकट होता है कि आरोपी द्वारा दहेज की मांग नहीं की गई थी। चूंकि फरियादिया आरोपी के साथ नहीं रहना चाहती है इसलिये फरियादी पक्ष द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह रिपोर्ट की गई थी।
- 23. इस प्रकार प्रकरण में फरियादी रूबी अ०सा०1, शिवनारायण अ०सा०2, केशव अ०सा०3, सुरेश अ०सा०4 एवं केलादेवी अ०सा०6 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त सभी साक्षीगण के कथन अपने परीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभाषी रहे हैं उक्त सभी साक्षीगण द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया गया है कि आरोपी ने दहेज की मांग नहीं की थी। स्वयं फरियादी रूबी अ०सा०1 ने अपने

प्रति/छ/३११सी म्यायिक मार्ज्य अपन श्रेण मोहरू विला- निष्ड (मण प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि वह आरोपी के साथ नहीं रहना चाहती है इस कारण उसने आरोपी पर दहेज का झूंठा केस लगा दिया था। इस प्रकार प्रकरण में आई साक्ष्य से यह दर्शित है कि आरोपी द्वारा फरियादिया रूबी से एक लाख रूपये दहेज की मांग नहीं की गई है और न ही फरियादिया को प्रताड़ित किया गया है फरियादिया स्वयं आरोपी के साथ नहीं रहना चाहती है इस कारण फरियादिया द्वारा आरोपी के विरूद्ध असत्य अपराध पंजीबद्ध कराया गया है।

- 24. कूरता रहित दाम्पत्य संबंधों का निर्वाह हर महिला का विधिक एवं नैतिक अधिकार है, परंतु इस आधार पर किसी भी महिला को कानून का दुरूपयोग करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी रूबी अ०सा०1 द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि उसने आरोपी पर दहेज का झूंठा केस लगाया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं मानाजा सकता है। ऐसी स्थिति में अरापेध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।
- 25. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरूद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करे यदि अभियोजन आरोपी के विरूद्ध मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाम आरोपी को दिया जाना उचित है।
- 26. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 19.05.2015 से निरंतर शेरपुर की पुलिया पर फरियादी रूबी के पित होकर फरियादी रूबी से दहेज में एक लाख रूपये की मांग की एवं मांग की पूर्ति न होने पर फरियादी रूबी की मारपीट कर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ कूरता कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी विकम उर्फ प्रेम सिंह को संदेह का लाभ देते हुये उसे भा0दं0सं0 की धारा 498-ए एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

आरोपी पूर्व से जमानत पर है, उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

प्रकरण में निराकरण योग्य कोई संपत्ति नहीं है।

स्थान – गोहद

दिनांक -16-03-2018

निर्णय आज-दिनांकित एवं हस्ताक्षरित

कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(प्रतिष्टा अवस्थी)

न्यायिक सिला क्रिप्ड (त्राव्या) श्रेणी म्यादिक मिला क्रिप्ड (त्राव्या) गोहर जिला- भिण्ड (मण्ड मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

प्रतिस्त्रीषाख्यक्ष्मी) न्यासिमास्त्रिकास्मिन्द्रेत्रस्थ्यम्भूमोणी

गोहद गोन्स्तिम्भिक्षपश्चिप्वभाष्ट्रप्राण